31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य से सम्बंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का सारांश

प्रस्तावना

यह सारांश 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) तथा सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के महत्त्वपूर्ण विषयों की झलक प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों में हिमाचल प्रदेश सरकार, सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम सम्मिलित हैं। अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, जो इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके निपटान हेतु सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों और कार्यालयाध्यक्षों के साथ मामला उठाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए बिंदुओं के साथ-साथ लेखाओं पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्यपाल को भेजते हैं, जो उन्हें विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं।

विधानसभा को प्रस्तुत राज्य सरकार के लेन-देनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य के वित्त, राजस्व क्षेत्र और सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के संदर्भ में लोक लेखा समिति को तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) प्रतिवेदन के संदर्भ में लोक उपक्रम समिति को भेजा जाता है। सरकारी विभागों को सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा समीक्षाओं पर स्वयंमेव की गई कार्रवाई की टिप्पणियों, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांच की गई हो, सम्बन्धित समिति को प्रस्तुत करना होता है। समिति कुछ परिच्छेदों/समीक्षाओं को विस्तृत जांच हेतु चयन करती है तथा उसके उपरान्त उन पर अपनी अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों/समीक्षाओं के प्रारूप सदैव सम्बन्धित विभाग के प्रधान सचिव को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि उन्हें राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर सरकार के विचार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप परिच्छेदों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सम्बन्धित विभाग की टिप्पणियां लेखापरीक्षा को छः सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश मामलों में विभागों ने प्रारूप परिच्छेदों पर निर्धारित समय में टिप्पणियां प्रस्तुत करने में प्रावधान का पालन नहीं किया।

इस सारांश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अधिक महत्वपूर्ण मामलों का केवल सारांशित विवरण सम्मिलित है। यद्यपि हमारा यह प्रयास रहा है कि इस प्रलेख की विषयवस्तु जहां तक सम्भव हो, मूल प्रतिवेदनों जैसी हो तथापि तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता हेतु मूल प्रतिवेदनों का संदर्भ लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण हेतु सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या इस प्रकाशन के पिछले कवर के पार्श्व पृष्ठ पर दिए गए हैं।

विषय सूची

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन	1
2.	राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन	6
3.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) पर प्रतिवेदन	13
4.	सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन	18

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन संख्या-4)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय अर्थात् 'राज्य सरकार के वित्त', 'वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण' तथा 'वित्तीय विवरण' हैं।

राज्य सरकार के वित्त

राज्य सरकार के वित्त लेखे उपयुक्त वर्गीकरणों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय दोनों से सम्बद्ध सभी लेन-देनों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। सरकारी लेखे में समस्त लेन-देनों के सारांश के अतिरिक्त वित्त लेखे में (क) ऋण स्थिति का सारांश, (ख) राज्य सरकार के ऋण एवं अग्रिम, (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां और (घ) शेष का सारांश सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा उन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नवत् हैं:

वित्त लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2015-16	2016-17		2015-16	2016-17
प्रवर्ग -क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	**23,440**	**26,264**	**राजस्व व्यय**	**22,303**	**25,344**
कर राजस्व	6,696 (29)	7,039 (27)	सामान्य सेवाएं	8,788	9,728
कर-भिन्न राजस्व	1,837 (8)	1,717 (6)	सामाजिक सेवाएं	7,980	9,610
संघीय करों/शुल्कों का भाग	3,611 (15)	4,344 (17)	आर्थिक सेवाएं	5,525	5,996
भारत सरकार से अनुदान	11,296 (48)	13,164 (50)	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	**पूंजीगत परिव्यय**	**2,864**	**3,499**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**26**	**30**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**463**	**3,290***
लोक ऋण प्राप्तियां	**6,129**	**8,603***	**लोक ऋण की चुकौती**	**3,948**	**3,943**
आकस्मिकता निधि	**शून्य**	**शून्य**	**आकस्मिकता निधि**	**शून्य**	**शून्य**
लोक लेखा प्राप्तियां	**11,515**	**13,630**	**लोक लेखा संवितरण**	**10,577**	**12,351**
अथ रोकड़ शेष	**(-) 739**	**216**	**अन्तिम रोकड़ शेष**	**216**	**316**
योग	**40,371**	**48,743**	**योग**	**40,371**	**48,743**

* उज्जवल डिस्कॉम बीमा योजना के सन्दर्भ में ₹ 2,890.50 करोड़ सहित।

राजकोषीय सुधार पथ

बजटीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार 2011-12 के दौरान राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाना अपेक्षित था और उसके बाद राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करना था। तथापि राजस्व घाटे को शून्य तक लाने का उद्देश्य 2015-16 तथा 2016-17 में प्राप्त कर लिया गया। 2015-16 में अच्छे निष्पादन के बाद 2016-17 के दौरान सभी तीन घाटा सूचकों जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा में अवरोही प्रवृत्तियां पाई गई।

2016-17 के दौरान ₹ 1,137 करोड़ का राजस्व अधिशेष पूर्व वर्ष की तुलना में घटकर ₹ 920 करोड़ रह गया। यह भी पाया गया कि यद्यपि इस वर्ष केन्द्रीय अन्तरणों में वृद्धि हुई है, तथापि इसके विपरीत राजस्व अधिशेष में कमी हुई है।

राजकोषीय घाटा 2015-16 में ₹ 2,165 करोड़ से ₹ 783 करोड़ बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 2,948 करोड़ हो गया। यह चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 *प्रतिशत* था और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निश्चित लक्ष्य (3.17 *प्रतिशत*) तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात् 3 *प्रतिशत*) के अन्तर्गत था। 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष पाया गया।

(परिच्छेद 1.11.1)

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधियों की अनदेखी

वर्ष 2014-15 से इन निधियों को बजट के माध्यम से जारी करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-17 के दौरान भी निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई थीं। 2016-17 के दौरान ये प्रत्यक्ष निधियां विगत वर्ष की तुलना में ₹ 344.68 करोड़ से बढ़कर ₹ 457.18 करोड़ हो गई। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से जारी नहीं की जाती, अतः वित्त लेखे, राज्य को केन्द्र सरकार के संसाधनों के निधि प्रवाह की पूर्ण स्थिति प्रस्तुत नहीं करते।

(परिच्छेद 1.2.2)

पूंजीगत व्यय को कम प्राथमिकता देना

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी गई है क्योंकि समग्र व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का *प्रतिशत* अनुपात 2015-16 में 11.17 तथा 2016-17 में 10.89 है, जो कि विशेष श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात की तुलना में कम है जो 2015-16 में 14.00 तथा 2016-17 में 13.60 था। 2016-17 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में यह 0.28 *प्रतिशत* अंक तक गिर गया और विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से 2.71 *प्रतिशत* अंक कम हुआ।

(परिच्छेद 1.7.1)

सरकारी निवेशों की समीक्षा

2012-17 के दौरान सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों तथा संयुक्त स्टॉक कम्पनियों पर औसत *प्रतिशत* 5.15 था जबकि सरकार ने

उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने ऋणों पर 7.85 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था।

(परिच्छेद 1.8.2)

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

स्टाफ को भुगतान की गई महंगाई भत्ता किस्तों तथा अन्य लाभों के कारण वेतन एवं मजदूरी पर व्यय विगत वर्षों की तुलना में ₹ 1,508 करोड़ (18 *प्रतिशत*) तक वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान इसमें राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 37 *प्रतिशत* सम्मिलित था। चालू वर्ष में वेतन व्यय (₹ 9,356 करोड़) मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 9,445 करोड़) के अंतर्गत था।

(परिच्छेद 1.6.2)

राजकोषीय देयताओं में वृद्धि, ऋण तथा राज्य के प्रति व्यक्ति ऋण की परिपक्वता रूपरेखा की प्रवृत्ति

चालू वर्ष (2016-17) के अंत पर राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की तुलना में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 47,244 करोड़ थी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों का 180 *प्रतिशत* थीं। राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लोक ऋण का नौ *प्रतिशत* (₹ 3,096 करोड़) आगामी वर्ष में भुगतान योग्य है। 31 *प्रतिशत* (₹ 10,008 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों की अवधि में भुगतान योग्य है जबकि शेष 60 *प्रतिशत* (₹ 19,466 करोड़) ऋण पांच वर्षों से अधिक की अवधि में भुगतान हेतु अपेक्षित है जिससे उस अवधि के दौरान सरकारी बजट पर बोझ पड़ेगा। इससे इंगित होता है कि राज्य को सात वर्षों के भीतर 55 *प्रतिशत* ऋण का भुगतान करना है जो कि वित्तीय स्थिति पर बहुत अधिक बोझ है।

राज्य के प्रति व्यक्ति ऋण ने 2012-13 में ₹ 43,726 से 2016-17 के दौरान ₹ 65,444 तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई (पांच वर्षों की अवधि में 50 *प्रतिशत* की वृद्धि)। यह विगत वर्ष (₹ 57,642) की तुलना में 2016-17 (₹ 65,444) के दौरान ₹ 7,802 (14 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। यद्यपि उदय स्कीम के साथ वर्ष 2016-17 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति ऋण ₹ 65,444 है, तथापि यह उदय स्कीम के बगैर ₹ 61,439 होगा।

(परिच्छेद 1.9.2 तथा 1.10.1)

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की प्रभारित व दत्तमत्त दोनों मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा

राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुगम बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

[redacted]

(₹ करोड़ में)

व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+)
दत्तमत्त					
I राजस्व	25,385.73	1,502.78	26,888.51	24,512.27	(–) 2,376.24
II पूंजी	3,240.85	580.78	3,821.63	3,509.95	(–) 311.68
III ऋण एवं अग्रिम	428.19	114.25	542.44	3,289.69	2,747.25
कुल दत्तमत्त	**29,054.77**	**2,197.81**	**31,252.58**	**31,311.91**	**59.33**
प्रभारित					
IV राजस्व	3,455.44	4.49	3,459.93	3,410.75	(–) 49.18
V पूंजी	–	73.85	73.85	42.06	(–) 31.79
V लोक ऋण–चुकौती	2,228.52	1,660.39	3,888.91	3,942.84	53.93
कुल प्रभारित	**5,683.96**	**1,738.73**	**7,422.69**	**7,395.65**	**(–) 27.04**
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
सकल योग	**34,738.73**	**3,936.54**	**38,675.27**	**38,707.56**	**32.29**

बचत/आधिक्य

2016–17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 32.29 करोड़ का समग्र व्यय आधिक्य ₹ 3,005.32 करोड़ की बचत द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 3,037.61 करोड़ (उदय स्कीम से सम्बंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सहित) के आधिक्य का परिणाम था। 2016–17 के दौरान ₹ 3,037.61 करोड़ के अतिरिक्त वर्ष 2011–16 हेतु ₹ 6,364.57 करोड़ का व्यय आधिक्य विनियमन हेतु अपेक्षित है।

(परिच्छेद 2.2 तथा 2.3.1.1)

पर्याप्त अभ्यर्पण

58 मामलों में वित्त वर्ष के अंत पर ₹ 2,863 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण)।

(परिच्छेद 2.3.4.2)

अनुपूरक अनुदान

10 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 119.70 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 3,037.22 करोड़ के कुल अनावृत्त व्यय आधिक्य को छोड़ते हुए ₹ 1,993.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए। इस अनावृत्त आधिक्य में से ₹ 2,687.01 करोड़ (88 *प्रतिशत*) उदय

स्कीम के आधार पर विद्युत विभाग द्वारा अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.1.4)

अविवेकपूर्ण पूनर्विनियोजन

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ परिणामत: 27 उप-शीर्षों में बचत/आधिक्य (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) हुए। इनमें से नौ उप-शीर्षों में बचत/आधिक्य (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) हुए।

(परिच्छेद 2.3.2)

व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य वित्तीय नियमों के विपरीत, वर्ष 2016-17 के दौरान 39 उप-शीर्षों में ₹ 1,096.09 करोड़ का व्यय जो प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* अथवा अधिक तथा ₹ 10 करोड़ से अधिक था, का व्यय मार्च 2017 के मास में किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.3)

वित्तीय विवरण

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

31 मार्च 2017 को ₹ 2,910.67 करोड़ राशि के ऋणों व अनुदानों के सम्बंध में 2,587 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाने में विलम्ब था।

(परिच्छेद 3.1)

लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब

दो बोर्डों नामत: हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (2014-15 एवं 2015-16 के लिए) तथा हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए) ने अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। समस्त निकायों के सम्बंध में विलम्ब तीन महीनों से तीन वर्ष आठ महीनों के मध्य था। समस्त छ: निकायों से सम्बंधित वर्ष 2016-17 हेतु लेखा अगस्त 2017 तक उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

(परिच्छेद 3.2)

दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लम्बित मामले

राज्य सरकार ने ₹ 78.10 लाख राशि के सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी, आदि के 45 मामले दर्ज किए थे जिन पर जून 2017 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक समय से पुराने थे।

(परिच्छेद 3.4)

अस्थायी अग्रिमों का गैर-समायोजन

विभिन्न विभागों में विविध नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के प्रति सरकारी अनुपालना की कमी थी क्योंकि मार्च 2017 तक राज्य के विभागों में कुल ₹ 23.19 करोड़ के अस्थायी अग्रिमों के 76 मामले समायोजन हेतु लम्बित थे।

(परिच्छेद 3.5)

परिचय

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और ₹ 269.46 करोड़ के राजस्व संकेतों से युक्त मूल्यवर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, यात्री एवं माल कर तथा रॉयल्टी के गैर/अल्प उद्ग्रहण से सम्बंधित 25 ड्राफ्ट परिच्छेद सम्मिलित हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 8.83 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 11 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की हैं जिसमें से 11 मामलों में ₹ 1.82 करोड़ की वसूली की गई थी।

राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्ति

वर्ष 2016-17 के लिए सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के दौरान ₹ 23,440.48 करोड़ की तुलना में ₹ 26,264.34 करोड़ थी। सरकार ने अपने संसाधनों के माध्यम से ₹ 7,039.05 करोड़ कर राजस्व और ₹ 1,717.24 करोड़ गैर-कर राजस्व जुटाया था जो कि कुल राजस्व का 33 *प्रतिशत* था। शेष 67 *प्रतिशत* भारत सरकार से ₹ 4,343.70 करोड़ के विभाज्य संघीय करों के राज्य अंशदान तथा ₹ 13,164.35 करोड़ के सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया।

(परिच्छेद 1.1.1)

लेखापरीक्षा परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग

'आसवनियों की कार्यपद्धति सहित राज्य आबकारी विभाग की कार्यपद्धति' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

शीरा से स्पीरिट का कम उत्पादन

जिला ऊना की एक आसवनी ने स्पीरिट के निर्माण के लिए 66,168 क्विंटल शीरा का उपयोग किया और मापदण्डों के अनुसार 27,30,092 प्रूफ लीटर के उत्पादन के प्रति 23,83,348 प्रूफ लीटर स्पीरिट का उत्पादन किया था। अत: 2,06,395 बल्क लीटर स्पीरिट का कम उत्पादन हुआ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.23 लाख के आबकारी शुल्क का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.3.7)

अमान्य अपव्यय पर शुल्क की हानि

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा जिला सोलन एवं सिरमौर में दो मद्यनिर्माणशालाओं को बियर के बोतलीकरण टैंकों के चरण तक पहुंचने के बाद नियमों में किसी प्रावधान के बिना बियर उत्पादन में 14.88 लाख बल्क लीटर की क्षति की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.44 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.3.8)

बिक्री केन्द्रों के कोटा का निर्धारण

किसी स्पष्टीकरण के बिना 29 बिक्री केन्द्रों जिन्होंने जिला सिरमौर में विगत चार वर्षों में आबंटित न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाया था, को विगत वर्ष (अर्थात् 2014-15) में उठाए गए कोटा की तुलना में शराब के कोटा के कम आवंटन के

परिणामस्वरूप ₹ 4.12 करोड़ की अनुज्ञप्ति फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.3.10)

कोटा को अधिक उठाना

वर्ष 2015-16 के दौरान 73 बिक्री केन्द्रों द्वारा ₹ 1.82 करोड़ की अनुज्ञप्ति फीस की हानि हुई थी और न तो इसकी विभाग द्वारा मांग की गई थी, न ही अनुज्ञप्तिधारकों ने इसका भुगतान किया था।

(परिच्छेद 3.3.11)

लाईसेंस फीस की अल्प वसूली

विभाग ने ₹ 57.10 करोड़ की वसूली योग्य लाईसेंस फीस के स्थान पर ₹ 47.09 करोड़ की लाईसेंस फीस की वसूली की थी, परिणामत: दो जिलों के नौ लाईसेंसधारकों से ₹ 10.01 करोड़ की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3.13)

न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का गैर-उद्ग्रहण

विभाग ने न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर भुगतान योग्य ₹ 4.94 करोड़ की अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस की वसूली नहीं की थी जिसका न तो अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा भुगतान किया गया, न ही विभाग द्वारा मांग की गई, परिणामत: उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.3.14)

एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर आबकारी शुल्क का अनुद्ग्रहण

तीन आसवनियों ने 3,66,95,631 बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का उत्पादन किया था लेकिन सरकार को किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, परिणामत: ₹ 18.29 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.3.16)

बोतलीकरण फीस में डी-2ए/ बांडिड बेयरहाऊस-2 लाईसेंस फीस का अनियमित समायोजन

डीलरों ने देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब (डी-2 ए) के निर्माण हेतु डी-2 आसवनी लाईसेंस और बांडिड बेयरहाऊस-2 लाईसेंसों की लाईसेंस फीस के आधार पर ₹ 2.60 करोड़ के समायोजन के बाद वास्तविक रूप से देय ₹ 29.40 करोड़ के प्रति ₹ 26.80 करोड़ की बोतलीकरण फीस का भुगतान किया था परिणामत: ₹ 2.60 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 3.3.18)

आबकारी बैरियरों के माध्यम से अप्रभावी नियंत्रण

2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान जिला सिरमौर की एक मद्यनिर्माणशाला ने 1,30,816 बल्क लीटर बियर से युक्त 26 कन्साइनमेंट भेजे थे जिनकी प्रविष्टि बहु-उद्देशीय बैरियरों पर अनुरक्षित आबकारी जांच पंजिकाओं में नहीं थी और जिसमें ₹ 21.70 लाख का आबकारी शुल्क अंतर्ग्रस्त था।

(परिच्छेद 3.3.28)

हिमाचल प्रदेश "मूल्यवर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना (हिमटास) के क्रियान्वयन" पर लेखापरीक्षा

आबकारी एवं कराधान विभाग ने जून 2010 में ₹ 20.19 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से अंतर्ग्रस्त कर कानूनों की अनुपालना में सुधार, संबद्ध कर प्रशासन को स्वचालित करने तथा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के साथ इन्टरफेस हेतु मूल्य वर्धित कर तथा संबंद्ध प्रक्रियाओं का कम्प्यूट्रीकरण प्रारम्भ किया था। विभाग ने अगस्त 2011 से जनवरी 2015 के मध्य वैब-पोर्टल सहित 23 मॉड्यूलों को प्रारम्भ किया था। तथापि, मूल्यवर्धित कर निर्धारणों का दीर्घ लम्बन के मद्देनजर बैकएण्ड मॉड्यूल का प्रयोग कम था तथा प्रक्रियाओं को अब भी मैनुअल तरीके से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गो-लाइव, प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एस.आर.एस.), उपयोगकर्त्ता आवश्यकता विनिर्देश (यू.आर.एस.), सॉफ्टवेयर डिजायन दस्तावेज (एस.डी.डी.) को हस्ताक्षर करना, लैगेसी डाटा कनवर्जन तथा अंतिम स्वीकृति परीक्षण भी लम्बित थे। 01 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. की शुरूआत पर जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित 'क्रियान्वयन मॉडल-2' के प्रयोग के लिए विभाग के विकल्प के मद्देनज़र परियोजना की स्थापना पर ₹ 20.19 करोड़ का व्यय परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अनुत्पादक/ विफल रहा।

(परिच्छेद 2.3)

लेन-देन लेखापरीक्षा

क. आबकारी एवं कराधान विभाग

(i) बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर

प्रवेश कर का कम लगाना

प्रवेश कर पांच *प्रतिशत* की दर पर उद्ग्राहय था जो कि ₹ 2.41 करोड़ बनता है जबकि आबकारी विभाग के बहु-उद्देशीय बैरियरों ने तीन *प्रतिशत* की दर पर प्रवेश कर प्रभारित किया था जो कि ऊर्जा मीटरों पर ₹ 1.38 करोड़ बनता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के प्रवेश कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

सकल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारी ने एक डीलर की कर योग्य कुल बिक्री में ₹ 3.10 करोड़ तथा ₹ 3.28 करोड़ की आय सम्मिलित नहीं की थी और निर्धारण प्राधिकारी ने अपने निर्धारण आदेश में ₹ 6.38 करोड़ को सम्मिलित न करने के कोइ करण नहीं बताए, परिणामत: ₹ 25.52 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.5)

कार्य अनुबंध कर की अल्प कटौती

संविदाकारों को किए गए ₹ 158.34 करोड़ के उप अनुबंध भुगतानों पर दो *प्रतिशत* की दर पर कार्य अनुबंध कर की कटौती न किए जाने के कारण ₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 2.7)

किराया प्रभारों की अमान्य कटौती और प्रवेश कर का अनुद्ग्रहण	कार्य संविदा के लिए उपभोग्य खरीदों पर प्रवेश कर के अनुद्ग्रहण परिणामस्वरूप ₹ 77.58 लाख की राजस्व हानि हुई। **(परिच्छेद 2.8)**
कार्य अनुबंधों में श्रम प्रभारों की अधिक स्वीकृति	श्रम प्रभारों की अधिक स्वीकृति और संविदाकारों के छोटे भुगतानों हेतु कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 3.46 करोड़ तक कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 2.9)**
गणना की गलती के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	निर्धारण प्राधिकारियों ने डीलरों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए कर योग्य कुल बिक्री का लागू योग्य कर दरों पर निर्धारण किया था लेकिन 2010-11 से 2013-14 की कर अवधि के लिए ₹ 2.37 करोड़ के स्थान पर ₹ 1.30 करोड़ के आउटपुट कर की गणना की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 2.10)**
मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	पांच जिलों में 36 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे जो मई 2012 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार अपने ग्राहकों को दी जा रही मनोरंजन सेवाओं पर भुगतान योग्य किसी मनोरंजन शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे। अत: 10 *प्रतिशत* की दर पर मनोरंजन शुल्क के गैर-उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का राजस्व प्रोद्भुत हुआ। **(परिच्छेद 2.11)**

(ii) राज्य आबकारी

नवीकरण फीस का भुगतान किए बिना लाईसेंसों का नवीकरण	विभाग ने अपेक्षित नवीकरण फीस के भुगतान के बिना विभिन्न लाईसेंस नवीकृत किए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की अल्प वसूली हुई। **(परिच्छेद 3.4)**
न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का अनुद्ग्रहण	4,86,054 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने के कारण 2014-16 के दौरान 532 मामलों में ₹ 1.62 करोड़ की अतिरिक्त फीस भुगतान योग्य थी। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ राशि के आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई। **(परिच्छेद 3.5)**
अनुज्ञप्ति फीस के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण	109 बिक्री केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारकों ने दो से 370 दिनों के मध्य के विलम्ब से ₹ 40.90 करोड़ की अनुज्ञप्ति फीस जमा करवाई थी जिस पर ₹ 33.31 लाख का ब्याज भुगतान हेतु देय था लेकिन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इसका

उद्ग्रहण नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.6)

शराब के बिक्रयहीन भंडार पर अनुज्ञप्ति फीस की गैर-वसूली

149 बिक्री केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारकों ने विगत वर्ष के 9,859.28 प्रूफ लीटर शराब के बिक्रयहीन भंडार का लेखाकरण नहीं किया था। अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा बिक्रयहीन भंडार पर लागू योग्य अनुज्ञप्ति फीस के 50 *प्रतिशत* की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किया जाना था लेकिन इसकी न तो विभाग द्वारा मांग की गई थी, न ही अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा यह जमा करवाई गई थी, परिणामत: ₹ 10.13 लाख की अनुज्ञप्ति फीस की गैर-वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.7)

(iii) यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर की अवसूली

आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पूर्वत: पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा 2014-15 से 2015-16 की अवधि हेतु 1,911 वाहनों का यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया था। तथापि निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो वाहन मालिकों को मांग नोटिस जारी किए थे, न ही उनके मामलों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु समाहर्त्ता को प्रेषित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ के यात्री एवं माल कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 5.5)

आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना

सम्बंधित पंजीकरण एवं अनुज्ञा प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय की कमी के कारण आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 2014-15 से 2015-16 की अवधि हेतु 2,961 वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत नहीं हुए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ राशि के यात्री एवं माल कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 5.6)

अतिरिक्त माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण न करवाना

तीन सीमेंट कम्पनियों ने 2015-16 की अवधि के दौरान खनन क्षेत्रों से कच्चे माल के रूप में प्रयोग हेतु अपने सीमेंट संयंत्रों को 1,09,86,514 मीट्रिक टन चूना पत्थर तथा 14,30,418 मीट्रिक टन शैल पत्थर का परिवहन किया था जिस पर ₹ 39.45 करोड़ अतिरिक्त माल कर भुगतान योग्य था जिसके प्रति ₹ 8.38 लाख का भुगतान किया गया था। ये कम्पनियां अतिरिक्त माल कर रिटर्नें नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही थी लेकिन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने रिटर्नों की

उचित ढंग से संवीक्षा नहीं की थी और निर्धारण किए थे, परिणामत: ₹ 39.37 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 5.7)

ख. राजस्व विभाग

निर्मित अवसंरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	बिक्री विलेखों के 163 दस्तावेजों को पंजीकृत करते हुए उप-पंजीयक ने निर्मित अवसंरचना हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निश्चित प्लींथ क्षेत्र दरों की जांच नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.48 करोड़ के प्रति ₹ 13.09 करोड़ के रूप में गलत मूल्यांकन हुआ और ₹ 92.03 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई। **(परिच्छेद 4.3)**
सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प मूल्यांकन	सात उप-पंजियकों ने बिक्री विलेखों के 30 दस्तावेजों का पंजीकरण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा अन्य सड़क से भूमि या संपत्ति की वास्तविक दूरी का सत्यापन नहीं किया जो कि वास्तव में खरीददार द्वारा दायर एफीडेविटों में था, परिणामत: ₹ 16.90 करोड़ के मूल्यांकन के प्रति ₹ 11.46 करोड़ का मूल्यांकन हुआ और ₹ 37.76 लाख के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 4.4)**
औद्योगिक इकाइयों के बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली	नवीन औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के सत्यापन के बिना औद्योगिक इकाइयों के बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के 50 *प्रतिशत* की छूट के परिणामस्वरूप ₹ 60.68 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्प उद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 4.5)**
स्टाम्प शुल्क की गलत दरें लागू करना	ग्यारह उप-पंजीयकों ने ₹ 27.58 करोड़ की विचारणीय राशि हेतु 314 दस्तावेज दर्ज किए थे तथा संशोधित दरों के आधार पर ₹ 1.66 करोड़ के उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क के प्रति पुरानी दरों पर ₹ 1.38 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उदग्रहित किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 28.00 लाख के स्टाम्प शुल्क का अल्पोद्ग्रहण हुआ। **(परिच्छेद 4.6)**

ग. परिवहन विभाग

सांकेतिक कर का अनुद्ग्रहण	वर्ष 2013-14 तथा 2015-16 हेतु ₹ 2.66 करोड़ के सांकेतिक कर का न तो 12,365 वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था, न ही विभाग द्वारा मांग की गई थी। **(परिच्छेद 5.3)**

विशेष पथ कर की गैर/अल्प वसूली	₹ 22.39 करोड़ राशि का विशेष पथ कर हिमाचल पथ परिवहन निगम और निजी स्टेज कैरिजों से वसूली नहीं गया था जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई। **(परिच्छेद 5.4)**
घ. वन विभाग	
मनमाने ढंग से रोकी गई रॉयल्टी हेतु मांग न उठाना	विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम सीमित से ईंधन लकड़ी की लागत/परिवहन प्रभारों के प्रति अधिक भुगतान सहित ₹ 31.12 करोड़ के रॉयल्टी भुगतान हेतु मांग नहीं उठाई थी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की वसूली नहीं हुई। **(परिच्छेद 6.3)**
अंतर रेजिन रॉयल्टी का गैर-भुगतान	विभाग ने न तो रेजिन सत्र 2014 के लिए रॉयल्टी दरों की अंतिम रूप दिए जाने पर रेजिन रॉयल्टी की अंतर राशि की मांग की थी, न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम सीमित द्वारा इसका भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ की राजस्व हानि हुई। **(परिच्छेद 6.4)**
रॉयल्टी के कम भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण	नवम्बर 2015 से जून 2016 तक ₹ 6.52 करोड़ की रॉयल्टी के कम भुगतान पर ₹ 70.47 लाख का ब्याज न तो विभाग द्वारा उद्ग्रहित किया गया था, न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम सीमित द्वारा इसका भुगतान किया गया था। **(परिच्छेद 6.5)**

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्या-1)

इस प्रतिवेदन में एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और नियमों, निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की गैर-अनुपालना, विद्युत प्रभारों की गैर/अल्पवसूली तथा निष्फल व्यय जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों/निगमों को हानियां हुई, के कारण परिहार्य भुगतान के मामलों से सम्बंधित ₹ 846.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से युक्त 13 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

परिचय

हिमाचल प्रदेश राज्य में 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा दो अक्रियाशील कम्पनियां हैं, जिनमें 36,071 कर्मचारी कार्यरत हैं। 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश (प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 12,657.73 करोड़ था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल निवेश में से 99.38 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.62 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश का 30.56 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी में, 0.66 *प्रतिशत* फ्री रिजर्वों में तथा 68.78 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र पर रहा; जो कि 2016-17 में ₹ 12,657.73 करोड़ में कुल निवेश ₹ 11,108.62 करोड़ (87.77 *प्रतिशत*) था। शेयर पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय व्यय जो 2014-15 में ₹ 1,189.98 करोड़ था, वर्ष 2016-17 में घटकर ₹ 755.60 करोड़ रह गया।

(परिच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 तथा 1.8)

लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

राज्य सरकार ने 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 3,462.41 करोड़ का निवेश किया था जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लेखों को अंतिम रूप न देने और उनकी लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि क्या किये गये निवेश तथा व्यय का लेखाकरण उचित ढंग से हुआ है तथा क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुआ था या नहीं जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था। अत: ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहा।

(परिच्छेद 1.11)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री 2012-13 में ₹ 4,945.29 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 8,344.31 करोड़ हो गई। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री की प्रतिशतता 2012-13 के 6.48 से बढ़कर 2016-17 में 6.70 हो गई।

01 अक्तूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान

18 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में 21 लेखे प्राप्त हुए थे। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) ने अपने लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया है जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् हिमाचल प्रदेश पथ एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित के सम्बंध में आय की तुलना में व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान योग्य है। 2016-17 में स्थापित हिमाचल प्रदेश बैवरेज़ सीमित ने अपना प्रथम लेखा तैयार नहीं किया है।

अपने नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखों के अनुसार, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 24.29 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिनमें से मात्र दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2015-16 के दौरान ₹ 1.89 करोड़ का लाभांश घोषित /भुगतान किया। लाभ अर्जित करने वाले शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राज्य सरकार को कोई लाभांश भुगतान नहीं किया ।

(परिच्छेद 1.15, 1.16 तथा 1.18)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना तथा निजीकरण

वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित सरकारी इक्विटी के विनिवेश हेतु कोई नीति तैयार नहीं की है।

(परिच्छेद 1.27)

सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) पर निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:-

परिचय

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में कशांग खड्ड (सतलुज नदी की एक उपनदी) पर नदी विकास के अंग के रूप में थी। एक विशेष उद्देश्य वाहन नामतः जल विद्युत विकास निगम (मार्च 2003) व्यास एवं सतलुज नदी घाटियों में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु स्थापित किया गया था जिसको अनुवर्ती रूप से अगस्त 2007 में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) के साथ विलय कर दिया गया। परियोजना सतलुज नदी घाटी में निष्पादित की जाने वाली दो परियोजनाओं का भाग थी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 195 मेगावाट (स्टेज-I, 65 मेगावाट तथा स्टेज-II व III, 130 मेगावाट) की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित परियोजना हेतु तकनीकी-आर्थिक संस्वीकृति दो भागों में दी गई थी अर्थात् ₹ 478.02 करोड़ हेतु स्टेज-I (जुलाई 2008) और ₹ 488.19 करोड़ हेतु स्टेज-II व III (सितम्बर 2009)। वित्तीय

व्यवस्थाएं 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात (ऋण: ₹ 676.35 करोड़ एवं इक्विटी: ₹ 289.86 करोड़) में परिकल्पित थी। परियोजना प्रथम दो वर्षों के दौरान इकाई के साथ 238.62 मीलियन इकाईयों और तदुपरांत 713 मीलियन इकाईयों के उत्सर्जन हेतु डिजाइन की गई। परियोजना के दोनों स्टेजों का निर्माण कार्य जनवरी 2014 से नवम्बर 2015 के मध्य पूर्णता हेतु अनुबद्ध था। निर्माण कार्य अप्रैल 2009 के दौरान आरंभ किया गया और 48 महीनों के भीतर पूर्णता हेतु परिकल्पित था लेकिन परियोजना की प्रथम इकाई सितम्बर 2016 में ही स्थापित की जा सकी।

(परिच्छेद 2.1)

वित्तीय प्रबंधन

एशियन विकास बैंक ऋण भारत सरकार के माध्यम से 90 *प्रतिशत* अनुदान (₹ 498.99 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया और 10 *प्रतिशत* ऋण (₹ 55.44 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण में परिवर्तित किया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.7.1 तथा 2.7.2)

समय एवं लागत अधिकतम लगना

परियोजना का स्टेज-I, ₹ 478.02 करोड़ (डी0पी0आर0 लागत) के प्रति ₹ 789.84 करोड़ में पूर्ण हुआ, अत: ₹ 311.82 करोड़ की लागत आधिक्य के अंतर्ग्रस्त थी। परिणामत: स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति इकाई उत्सर्जन लागत ₹ 2.20 प्रति इकाई की विद्यमान बिक्री दर के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति इकाई तक बढ़ गयी। परियोजना का स्टेज II एवं III अब जनवरी 2021 में पूर्णता हेतु अनुबद्ध है और पूर्णता पर उत्सर्जन लागत में और वृद्धि की सम्भावना है।

(परिच्छेद 2.8)

लेन-देन की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कम्पनियों के प्रबंधन में कमियां इंगित करती है जिनके गंभीर वित्तीय संकेत थे। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार निम्नवत् है:

निश्चित प्रभारों की गलत माफी

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के सम्बन्ध में ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभार माफ किए थे।

(परिच्छेद 3.1)

सिस्टम की विफलता के कारण धोखाधड़ी का पता न चलना

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त मासिक लेखों की कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ अनिवार्य मैनुअल मिलान का संचालन करने में विलम्ब किया और

एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का स्व-चालित मिलान करने हेतु इसके सिस्टमों में मॉड्यूल डिजाइन नहीं किया था जिससे उपभोक्ता निधियों के अंतरण के संबंध में झूठी रसीदें उत्पन्न करने में सक्षम हुआ जिनको पकड़ा नहीं गया, परिणामत: ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.2)

विद्युत कनेक्शन को काटने में विलम्ब के कारण हानि

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने एक मामले में बिल राशि के भुगतान की समय पर निगरानी नहीं की और अस्थायी कटौती आदेश जारी करने में 25 महीने लिये थे और तब तक उपभोक्ता से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की राशि ₹ 1.62 करोड़ तक बढ़ गई थी।

(परिच्छेद 3.4)

विद्युत प्रभारों की कम बिलिंग

अपने बिक्री सर्कुलर की गलत प्रयोज्यता तथा एक ही परिसर में दो भिन्न कनेक्शन जारी करने के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने एक उपभोक्ता पर लोअर वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख तथा एच.टी.-2 श्रेणी पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख का बिल नही लगाया था।

(परिच्छेद 3.5)

वित्तीय लाभ का अनाहरण

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा संशोधित वेतन तथा भत्तों के लाभ वापिस लेते हुए ब्याज के रूप में भुगतान किये गये ₹ 37.05 लाख के वित्तीय लाभ का आहरण नहीं किया।

(परिच्छेद 3.6)

राजस्व का अनुद्ग्रहण

विद्युत के संस्वीकृत भार की तुलना में अधिक आहरण को पकड़ने का तंत्र विद्यमान न होने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 3.7)

बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित द्वारा फलों की उपार्जन, प्रसंस्करण तथा निपटान की विषयक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित को सेब जूस मिश्रण/सेब रस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि होने के अतिरिक्त बागवानों को समय पर भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.8)

संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान करना	मूल अनुबंध में सम्मिलित चरणवार भुगतान सूची को अग्रवर्ती करने के बाद संविदाकार के साथ हुए पूरक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ₹ 15.54 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न करके हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित ने संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया। **(परिच्छेद 3.9)**
परिहार्य हानि	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने एक अपूर्ण संचार लाईन का उपयोग किया और अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए संविदाकार को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। **(परिच्छेद 3.10)**

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन संख्या-6)

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। प्रतिवेदन के अध्याय-1 में लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना व संचालन, लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया, इत्यादि सम्मिलित हैं। अन्य दो अध्याय चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं विस्तार गतिविधियाँ, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व विनियमन, बाढ़ संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, ई-उपार्जन परियोजना पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और गैर-वसूली, निष्फल व्यय, निधियों का अनियमित आहरण/संस्वीकृति, इत्यादि से सम्बंधित ₹ 913.99 करोड़ से युक्त 26 परिच्छेदों से सम्बंधित हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

कृषि विभाग

चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध एवं विस्तार गतिविधियां

हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी 62 *प्रतिशत* से अधिक जनसंख्या (42.56 लाख) कृषि एवं कृषि सम्बंधित गतिविधियों में लगी हुई है। कृषि की आधुनिक विधियों, पशुपालन आदि के विकास तथा राज्य के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।

कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्य उद्देश्यों में विशेषत: राज्य की ग्रामीण जनसंख्या को कृषि एवं कृषि सम्बंधित शाखाओं के अधिगम की शिक्षा प्रदान करना, अधिगम के विकास को आगे ले जाना, कृषि शोध तथा इस प्रकार के विज्ञान का विस्तार करना शामिल है।

प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम

स्वीकृत पद व पदासीनों की संख्या

380 प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों में से 141 पद (37 *प्रतिशत*) रिक्त पड़े थे जिससे विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता और शोध गतिविधियां प्रभावित हुई।

(परिच्छेद 2.1.8.1)

छात्रों का नामांकन

2012-17 के दौरान स्नातक कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में *प्रतिशत* गिरावट 14 से 25 के बीच रही तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में यह 27 से 67 के बीच रही। डॉक्टोरल कार्यक्रमों में लगभग 61 से 70 *प्रतिशत* स्थान रिक्त रहे।

(परिच्छेद 2.1.9.2)

एम0एस0सी0 (जीव विज्ञान) की गैर-मान्यता प्राप्त डिग्री तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय का प्रमाणन न होना

2007-16 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त एम.एस.सी. (जीव विज्ञान) कार्यक्रम के संचालन तथा 2013-17 के दौरान गृह विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत गैर-मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के कारण, विश्वविद्यालय ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 2016-17 तक उत्तीर्ण होने वाले 259 छात्रों के कैरियर को जोखिम में डाला।

(परिच्छेद 2.1.9.4 तथा 2.1.9.5)

नियुक्ति कक्ष की कार्यप्रणाली	2011-15 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तीर्ण होने वाले 1,545 छात्रों में से मात्र छ: *प्रतिशत* (94) छात्र ही विश्वविद्यालय के रोजगार प्रकोष्ठ (प्लेसमेंट सेल) के द्वारा रोजगार पा सके जो यह इंगित करता है कि विश्वविद्यालय डिग्रीधारकों की रोजगार पाने की आकांक्षाओं को पूरा करने में अक्षम रहा।
	(परिच्छेद 2.1.9.8)
शोध परियाजनाओं तथा ऑर्गेनिक कृषि प्रमोशन की प्रास्थिति	2012-17 के दौरान हुए शोध परियोजनाओ के परिणामों के लिए विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं की जिसके बिना उनकी सत्यता/परिणामों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। अप्रैल 2012 तथा जून 2016 के बीच पूर्ण होने वाली ₹ 6.98 करोड़ की तीन शोध परियोजनाएं अपूर्ण पड़ी थी जबकि मार्च 2017 तक इन शोध परियोजनाओं पर ₹ 4.79 करोड़ का व्यय हो चुका था।
	(परिच्छेद 2.1.10.2, 2.1.10.6 तथा 2.1.10.7)
प्रशिक्षण कार्यक्रम	2013-17 के दौरान, सरकारी कार्यकारियों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में 42 से 68 *प्रतिशत* की कमी थी। यद्यपि किसानों को प्रशिक्षण का लक्ष्य 2012-17 के दौरान प्राप्त कर लिया गया किंतु विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण के प्रभाव को, इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये नहीं आंका।
	(परिच्छेद 2.1.11.1)
विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय और अग्रिमों का गैर समायोजन	2012-17 के दौरान विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को पेंशन से सम्बंधित लाभ पहुंचाने के लिए राज्य अनुदानों में से ₹ 178.26 करोड़ का अनियमित व्यय किया तथा 2004-17 के दौरान 38 विभागों के 663 मामलों में किया गया ₹ 20.19 करोड़ का आकस्मिक अग्रिम का भुगतान मार्च 2017 तक असमायोजित पड़ा था जिसमें से ₹ 4.55 करोड़ का अग्रिम पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया था।
	(परिच्छेद 2.1.7.2 तथा 2.1.7.5)
एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन तंत्र और निरीक्षणों का गैर संचालन	आंतरिक नियंत्रण व निगरानी तंत्र लगभग अस्तित्वहीन थे क्योंकि विश्वविद्यालय ने न तो खातों/भंडारों का आंतरिक निरीक्षण किया था और न ही 2012-17 के दौरान कार्यक्रमों/गतिविधियों की निगरानी के लिये समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र विकसित किया था।
	(परिच्छेद 2.1.13.2 तथा 2.1.13.3)

उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विनियमन

उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पाया कि यद्यपि उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए सरकारी वित्तपोषण आधारशिला रहेगी, लेकिन यह काफी नहीं होगा और इसलिए शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में निजी निवेश को प्रेरित करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 पारित किया और 2008 में (2009 में संशोधित) हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका अधिसूचित की। उसके बाद, उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों के विनियमन के लिए फरवरी 2011 में हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान विनियामक आयोग (विनियामक आयोग) स्थापित हुआ। उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के लिए सम्पूर्ण नीति नियामक एवं विनियमन हेतु जिम्मेदार है।

प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम

निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का मूल्यांकन न करना

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया था और 17 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी जिसमें से 10 मात्र एक जिले में स्थित थे (एक ग्राम पंचायत में चार) जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था।

(परिच्छेद 2.2.6.1)

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवेदनों पर विचार करने में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता की कमी

राज्य सरकार ने वित्तीय सुदृढ़ता, प्रायोजक निकायों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की विशेषज्ञता एवं संभाव्यता के निर्धारण के लिए कोई उद्देश्य मापदण्ड/मानक निर्धारित नहीं किया था जिससे स्वैच्छिक तथा अपारदर्शी निर्णय को बढ़ावा मिला।

(परिच्छेद 2.2.6.2)

विनियामक आयोग में श्रमशक्ति की कमी और पाठ्यक्रमों का अनुमोदन

विनियामक आयोग में श्रमशक्ति की अत्यधिक कमी थी जो निरीक्षणों में अत्यधिक कमी के रूप में परिलक्षित हुई। 2011-17 के दौरान निजी विश्वविद्यालयों में 1,394 पाठ्यक्रम विनियामक आयोग द्वारा अवसंरचना तथा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिना निरीक्षणों के स्वीकृत कर दिये गये।

(परिच्छेद 2.2.7.1 तथा 2.2.8.1)

निजी विश्वविद्यालय की फीस संरचना के निर्धारण/जांच के लिए मार्गदर्शिकाओं का न बनाना

निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस राज्य सरकार द्वारा लागत तत्वों पर विचार किए बिना स्वीकृत कर दी गयी; तीन नमूना-जांच किए गए निजी विश्वविद्यालयों ने 2016-17 की तुलना में 2017-18 के शैक्षणिक सत्र के लिए बिना औचित्य के 21, 23 तथा 58 *प्रतिशत* फीस बढ़ा दी।

(परिच्छेद 2.2.9.1)

विद्यार्थियों की प्रतिभूति राशि की वापसी न करना और

तीन नमूना-जांच किए गए निजी विश्वविद्यालयों ने ₹ 4.58 करोड़ राशि का अनधिकृत विकास शुल्क एकत्र किया था।

विकास प्रभारों का अनधिकृत संग्रह	चार नमूना-जांच किए गए निजी विश्वविद्यालयों ने 2012-16 के दौरान पास हुए 2,906 विद्यार्थियों को ₹ 2.89 करोड़ की प्रतिभूति राशि वापस नहीं की थी। **(परिच्छेद 2.2.9.2 तथा 2.2.9.4)**
निजी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम निर्धारित योग्यता के बिना प्राध्यापक	राज्य में 15 निजी विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता न रखने वाले प्राध्यापकों के साथ कार्य कर रहे थे विशेषकर प्रोफेसर (22 *प्रतिशत*) तथा सह-प्रोफेसर (28 *प्रतिशत*) स्तरों पर। **(परिच्छेद 2.2.10.1)**
निजी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी	निजी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की विशेष कमी थी, विशेषतया प्रोफेसर (38 *प्रतिशत*) तथा सह-प्रोफेसर (61 *प्रतिशत*) स्तरों पर। **(परिच्छेद 2.2.10.2)**
निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणन न करवाना	राज्य में 17 निजी विश्वविद्यालयों में से केवल तीन ने मार्च 2017 तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रमाणन परिषद से मान्यता प्राप्त की थी। **(परिच्छेद 2.2.13.1)**

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

बाढ़ संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण

हिमाचल प्रदेश मुख्यत: एक पहाड़ी राज्य के रूप में पांच प्रमुख नदियों-व्यास, चिनाव, रावी, सतलुज तथा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों का जलग्रह है। ये नदियां तथा सहायक नदियां उच्च वेग पर खड़ी ढलान के माध्यम से प्रवाह करती हैं जिससे बाढ़ के दौरान जीवन तथा सम्पत्ति को भारी नुकसान के साथ-साथ कृष्य भूमि का कटाव होता है। राज्य में बाढ़ के मुख्य कारणों में नदियों के जलग्रह क्षेत्रों में बादलों का फटना, ऊपरी पहाड़ियों में भारी वर्षा, मानव-निर्मित बांधों/प्राकृतिक झीलों का अचानक टूटना/फटना, भू-स्खलन, जो प्रवाह में बाधा तथा नदी के मार्ग को बदल देता है तथा विवर्तनिक गति जो ढलान विफलता/भू-स्खलन की अग्रणी है, शामिल है। राज्य के 55.67 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से अनुमानित 2.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ संभावित है। राज्य में चम्बा, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा ऊना जिले अधिक बाढ़ संभावित अथवा प्रभावित हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य में बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा पर्याप्त योजना के बिना बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन, परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में विलम्ब तथा अप्रभावी अनुश्रवण को दर्शाता है।

प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम

बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण और व्यापक मास्टर योजना की तैयारी	विभाग ने न तो बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था न ही बाढ़ संरक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु बेसिन-वार विस्तृत मास्टर योजना तथा कार्रवाई योजना तैयार की थी। राज्य के अनुमानित 2.31 लाख हैक्टेयर बाढ़ संभावित क्षेत्र में से केवल 25,116.21 हैक्टेयर (11 *प्रतिशत*) ही मार्च 2017 तक आवृत्त किया जा सका। **(परिच्छेद 2.3.6.1 तथा 2.3.6.3)**

रूपात्मक अध्ययन और अन्य बाढ़ संरक्षण उपायों की योजना न बनाना

2012-17 के दौरान बाढ़ संरक्षण परियोजनाओं/कार्यों के निर्माण में रूपात्मक अध्ययन के अभाव में तथा सभी संरचनात्मक तथा असंरचनात्मक उपायों (तटबंधनों को छोड़कर) की गैर-योजना/निष्पादन से बाढ़ों से उत्पन्न आपदाओं को नियंत्रित तथा विनाश कम करने के बेहतर परिणाम प्राप्त करने की असम्भावना थी।

(परिच्छेद 2.3.6.2 तथा 2.3.6.9)

निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता

2008-17 के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 657.36 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 21.25 करोड़ कम जारी किए गये थे जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्णता में 12 से 60 मास से अधिक का विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.3.8.1)

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

2008-13 के दौरान अनुमोदित सात बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाओं के प्रति जोकि मार्च 2012 से मार्च 2017 के दौरान पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, केवल चार परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था तथा मार्च 2017 तक 548.995 किलोमीटर लक्ष्य के प्रति 275.873 किलोमीटर (50 *प्रतिशत*) तटबंध निर्मित किए गए थे।

(परिच्छेद 2.3.8.2)

क्षतियों और संविदाकारों से निष्पादन बैंक गारंटी का पुन: स्थापन न करना

विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का अनुदग्रहन/वसूली न करना तथा क्षतिग्रस्त कार्य की पुन: स्थापना/हानि की वसूली न करना और निष्पादन गारंटी की गैर प्राप्ति/ नवीनीकरण न करने के फलस्वरूप 48 संविदाओं में संविदाकारों को ₹ 11.97 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

(परिच्छेद 2.3.10.1 तथा 2.3.10.2)

निधियों का अनियमित आहरण

2006-15 के दौरान नमूना-जांचित छ: मण्डलों द्वारा आहरित तथा वास्तविक प्रयुक्तता के बिना कार्यों को अनियमित रूप से प्रभारित किए गये ₹ 67.48 करोड़ के प्रति, ₹ 57.45 करोड़ अनुवर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान प्रयुक्त किए गए तथा शेष ₹ 10.03 करोड़ दो से चार वर्षों से अधिक के लिए निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 2.3.11.1)

बाढ़ पूर्वानुमान और कार्यों के निरीक्षण के लिए स्थायी समिति और समीक्षा समिति का गठन

राज्य में सुदृढ़ बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली विद्यमान नहीं थी तथा विभाग ने क्रमश: संकटपूर्ण/ मुख्य बाढ़ संरक्षण अनुरक्षण कार्यों और मुख्य कार्यों की समीक्षा के संयुक्त निरीक्षण हेतु स्थायी समिति तथा समीक्षा समिति का गठन नहीं किया था।

(परिच्छेद 2.3.12.1, 2.3.13.2 तथा 2.3.13.3)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ई-उपार्जन परियोजना पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

ई-उपार्जन दक्षता तथा पारदर्शिता लाने के लिए इंटरनेट एवं सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के उपयोग के द्वारा वस्तुओं, सेवाओं के सहयोगपूर्ण उपार्जन के साथ-साथ निर्माण कार्य दिये जाने के लिए बोलीकर्त्ताओं का चयन है। यह उपार्जन प्रक्रिया में ईमानदारी, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व तथा जनविश्वास की प्रोन्नति हेतु समस्त योग्य एवं पात्रता प्राप्त बोलीकर्त्ताओं को बिना भेदभाव के समान पहुंच उपलब्ध करवाता है। ई-उपार्जन प्रक्रिया का परिणाम प्रतियोगी भावना और उपार्जन चक्र को छोटा किये जाने के द्वारा लागत एवं समय की बचत है।

राज्य सरकार ने वस्तुओं के उपार्जन, कार्यों तथा सेवाओं में क्षमता तथा पारदर्शिता की वृद्धि के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक उपार्जन (ई-उपार्जन) आरंभ किया था (जून 2011)। इसकी क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु परियोजना की संकल्पना तथा क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2017 से जून 2017 के दौरान की गयी थी।

प्रमुख लेखापरीक्षा परिणाम

मॉडयूल का गैर प्रावधान और ई-निविदाकरण मॉड्यूल का आंशिक क्रियान्वयन	ई-उपार्जन, ई-गवर्नैंस पर भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना का अंग है। राज्य में 90 संगठनों में से 26 में ई-परियोजना के सात मॉड्यूलों में से मात्र एक मॉड्यूल (ई-निविदा) को क्रियान्वित करने हेतु विचार किया गया था। यद्यपि ई-निविदा मॉड्यूल में भी महत्त्वपूर्ण कार्य जैसे बोलियों को ऑनलाइन खोलना, मोल-भाव तथा संविदा का अधिनिर्णय मैनुअल ढंग से किया जा रहा है। **(परिच्छेद 2.4.1, 2.4.7.1 तथा 2.4.7.2)**
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्यापार नियमावली का प्रतिचित्रण न होना	एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्यापार नियम नहीं डाले गये हैं जिससे नियत अवधि से पहले निविदाओं को अनियमित ढंग से खोला गया। **(परिच्छेद 2.4.6.1)**
उपयोक्ताओं के पंजीकरण में अपर्याप्त मान्यता नियंत्रण	विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं द्वारा एक ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के प्रयोग तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से सुरक्षित ऑनलाइन बोली का प्रमुख उद्देश्य विफल हुआ। **(परिच्छेद 2.4.6.2)**
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में निविदाओं के संसाधन में लिया गया समय और निविदा के अधिनिर्णय की तिथि को न लिया जाना	निविदा नियमों में संशोधन नहीं होने के कारण ई-उपार्जन तंत्र के माध्यम से निविदाओं के संसाधन की समय सारिणी को घटाया नहीं जा सका और 2011-17 के दौरान निविदाओं के संसाधन में लगा समय 122 से 554 दिनों के मध्य था। **(परिच्छेद 2.4.6.4)**
ई-उपार्जन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम/नियमावली का न बनाना और	ई-उपार्जन तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिनियम/नियमावली, सेवा स्तर अनुबंध तथा रोल-आउट योजना तैयार/निष्पादित नहीं की गयी है।

सेवा स्तर अनुबंध का निष्पादन न करना

(परिच्छेद 2.4.7.3 तथा 2.4.8.1)

ई-उपार्जन तंत्र के लिए सेवाओं का बंटवारा न करना

सेवाओं का वितरण नहीं किये जाने के कारण एक उपयोक्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन से तंत्र में उच्च जोखिम की सम्भावना बढ़ी और इससे उत्तरदायित्व का प्रवर्तन असम्भव होगा।

(परिच्छेद 2.4.8.3)

बैठकें और बोलीकर्त्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने में कमी

ई-उपार्जन तंत्र के प्रभावी उपयोग हेतु बोलीकर्त्ताओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने में 98 *प्रतिशत* की कमी थी और निगरानी भी अपर्याप्त थी क्योंकि कोर समिति की अपेक्षित बैठकें नहीं हुई थी।

(परिच्छेद 2.4.9.7 तथा 2.4.9.8)

अनुपालना लेखापरीक्षा

कृषि विभाग

मिट्टी परीक्षण गतिशील प्रयोगशालाओं की खरीद पर निरर्थक निवेश

प्रयोगशालाओं के लिए परिचालन स्टाफ सुनिश्चित किए बिना कृषि विभाग द्वारा मिट्टी परीक्षण गतिशील प्रयोगशालाओं की खरीद में योजना की कमी के कारण वे अनुपयोगी रही जिससे ₹ 2.02 करोड़ का निवेश निरर्थक रहा।

(परिच्छेद 3.1)

जैविक/पारम्परिक काली चाय की बिक्री में हानि

बिना प्रतियोगी निविदा के फर्म का चयन तथा समझौता ज्ञापन में निष्पादन बैंक प्रतिभूति के खण्ड को सम्मिलित करने अथवा समझौता ज्ञापन पत्र के शर्तों व निबंधनों के उल्लंघन पर नुकसान के लिए जिम्मेदारी का समझौता ज्ञापन में प्रावधान लगाने में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की असफलता के परिणामस्वरूप जैविक/पारम्परिक चाय की आपूर्ति में ₹ 75.62 लाख की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.2)

कृषि और बागवानी विभाग

कृषि फसल बीमा योजनाएं

राज्य में फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों की व्याप्ति (कवरेज) काफी कम थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत 2014-16 के दौरान खरीफ फसलों के लिए मात्र 1.72 *प्रतिशत* किसानों तथा रबी फसलों के लिए 1.01 से 1.68 *प्रतिशत* किसानों को सम्मिलित किया गया। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2014-17 के दौरान खरीफ फसलों के लिए मात्र 0.09 से 2.43 *प्रतिशत* किसानों तथा रबी फसलों के लिए 9.34 से 13.61 *प्रतिशत* किसानों को बीमित किया गया। फसल/क्षेत्र अधिसूचना के जारीकरण में 14 से 98 दिनों की देरी के परिणामस्वरूप किसानों विशेषकर अऋणी किसानों को कम

	सम्मिलित किया गया। ग्राम पंचायत अथवा राजस्व वृत्त सबसे छोटी बीमा इकाई/क्षेत्र के स्थान पर कृषि विभाग ने तहसील अथवा ब्लॉक को बीमा इकाई के रूप में अपनाया जिसके कारण फसल हानि का ठीक निर्धारण नहीं हुआ। 2016-17 के दौरान कट-ऑफ तिथियों के बाद बीमा कम्पनियों को मामलों के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप 5,405 किसान सम्मिलित नहीं हुए। **(परिच्छेद 3.3)**
पशुपालन विभाग	
दवाओं/उपकरण के उपार्जन पर परिहार्य व्यय	*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* और पशु एवं भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना निधियों में से उपार्जनों के लिए दिशा-निर्देशों की अनुपालना में पशुपालन विभाग की विफलता से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन उपार्जन तथा विपणन संघ सीमित को ₹ 60.71 लाख के संचालन प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ। **(परिच्छेद 3.4)**
वन विभाग	
वन थानों की स्थापना	वन थानों की स्थापना के लिए वन विभाग द्वारा नीति के क्रियान्वयन में समुचित योजना की कमी के परिणामस्वरूप अपेक्षित उद्देश्य के लिए ₹ 4.04 करोड़ मूल्य की अवसंरचना अनुपयोगी रही। **(परिच्छेद 3.5)**
तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा न करवाना	उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर वन विभाग ने कोलडैम जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण से प्राप्त ₹ 59.31 करोड़ का शुद्ध वर्तमान मूल्य तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के बजाय सरकारी खाते में जमा करवाया। परिणामत: पर्यावरणीय क्षति कम करने के लिए वन संरक्षण गतिविधियां उक्त राशि में से नहीं की गई। **(परिच्छेद 3.6)**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने न तो खाद्य व्यापार स्थापना की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया न ही ऐसे स्थापना का डाटाबेस तैयार किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अत्यधिक रिक्त पदों की संख्या मुख्य चिंता का विषय है जिससे उचित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग, निगरानी एवं निरीक्षण और खाद्य नमूनों को उठाने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कण्डाघाट का खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित नहीं था। राज्य में संस्थागत/नियामक ढांचा और बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं था और खाद्य गुणवत्ता/सुरक्षा के निर्धारित मानकों की अनुपालना का अनुश्रवण कमजोर था। **(परिच्छेद 3.7)**

दोषी चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध बॉण्ड का गैर-प्रवर्तन	राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों जो उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद राज्य सरकार की सेवा करने की अपनी शपथ से मुकर गये, से ₹ 2.25 करोड़ की बॉण्ड राशि की वसूली करने हेतु बॉण्ड का प्रवर्तन नहीं किया था, जबकि राज्य में विशेषज्ञों की गंभीर कमी थी। **(परिच्छेद 3.8)**
गृह विभाग	
राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत निष्क्रिय उपकरण	आवश्यकता के गैर-निर्धारण तथा प्रशिक्षित परिचालकों को सुनिश्चित करने में गृह विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप छः वर्षों से अधिक समय के लिए निष्क्रिय उपकरण पर ₹ 91.14 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ। **(परिच्छेद 3.9)**
उद्योग विभाग	
लाइमस्टोन निक्षेपों की खोज हेतु ड्रिलिंग पर अनुचित/ निष्फल व्यय	उद्योग विभाग ने लाइमस्टोन रिजर्वों की खोज तथा आकलन हेतु प्राप्त राशि की तुलना में ₹ 1.88 करोड़ का अनुचित व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, बिना किसी कार्य के स्टाफ की नियुक्ति पर ₹ 1.79 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया था। **(परिच्छेद 3.11)**
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग	
सीवरेज स्कीम पर निष्फल व्यय	पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद समयबद्ध ढंग से सरकाघाट शहर के लिए सीवरेज स्कीम के निष्पादन में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.14 करोड़ के निष्फल व्यय तथा ₹ 0.99 करोड़ के अनियमित व्यय के अतिरिक्त तीन वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 6.36 करोड़ का अवरोधन हुआ। **(परिच्छेद 3.13)**
श्रम एवं रोजगार विभाग	
कौशल विकास भत्ता स्कीम	संस्थान जो स्वीकार करने योग्य मानकों के नहीं थे, में पंजीकृत 3,795 प्रशिक्षुओं को ₹ 85.74 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान किया गया था। गैर-सूचीबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के 102 प्रशिक्षुओं को ₹ 1.02 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान किया गया था। दावों का सत्यापन करने में श्रम एवं रोजगार विभाग की विफलता से 49 व्यक्तियों को झूठे प्रलेखों पर ₹ 0.49 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान हुआ। 2013-17 के दौरान 625 प्रशिक्षुओं जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था तथा बीच में ही छोड़ गए थे, को ₹ 25.00 लाख के कौशल विकास भत्ते का भुगतान किया गया था। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों के रोजगार अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण

	का अर्थ ये था कि परिकल्पित परिणामों की उपलब्धि को मापने हेतु किसी तंत्र के बिना लाभों का प्रत्यक्ष अंतरण उपलब्ध करवाने तक स्कीम सीमित रही थी।
	(परिच्छेद 3.14)
चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग	
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा स्थल के चयन में योजना की कमी के कारण चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा क्रमशः नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर का निर्माण और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला हेतु सुपर-स्पेशियल्टी ब्लॉक का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया था। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में अत्यधिक मानवशक्ति कमियों तथा अपेक्षित उपकरण की कमी के परिणामस्वरूप मरीज सुविधाओं एवं सेवाओं से वंचित हुए। निष्पादन अभिकरण के चयन में अनिर्णय से निष्पादन अभिकरणों को ₹ 15.09 करोड़ जारी करने के बावजूद एम0बी0बी0एस0 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के हॉस्टल का निर्माण अपूर्ण रहा और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के हॉस्टल का कार्य गैर-निष्पादित रहा था।
	(परिच्छेद 3.15)
सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालयों में अवसंरचना का असृजन तथा निधियों का अपवर्तन	चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग द्वारा ₹ 1.78 करोड़ के राज्यांश को जारी न करने तथा भारत सरकार द्वारा गैर-अनुमोदित सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी विद्यालयों को ₹ 3.00 करोड़ के अपवर्तन के कारण चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभिप्रेत अवसंरचना का सृजन नहीं हुआ।
	(परिच्छेद 3.16)
बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग	
जंगी थोपन तथा थोपन पोवारी जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होना	जल विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्त्ता के साथ पूर्व-क्रियान्वयन अनुबंध की शर्तों के अनुसार जब्ती के स्थान पर ₹ 260.13 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम को रिफंड करने के राज्य सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी तथा उपर्युक्त सीमा तक विकासकर्त्ता को अनुचित लाभ होगा।
	(परिच्छेद 3.17)
लोक निर्माण विभाग	
तारकोल का उपार्जन, उपभोग तथा लेखांकन	लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत आवंटन के अन्तर्गत समायोजन के लिए बकाया ₹ 427.14 करोड़ के भुगतानों के प्रति भुगतानकर्ता मण्डलों ने तारकोल की प्राप्ति के समर्थन में निष्पादन मण्डलों से ₹ 141.57 करोड़ (33 *प्रतिशत*) समायोजित नहीं किया था जिसमें से ₹ 35.13 करोड़ आठ से 11 वर्षों से अधिक अवधि हेतु बकाया था। नमूना-जांचित मण्डलों में आवंटन/आपूर्ति आदेशों के प्रति

₹ 2.51 करोड़ मूल्य के 663.221 मीट्रिक टन तारकोल की कम प्राप्ति थी। मण्डलीय स्तर पर खरीद के अन्तर्गत नमूना-जांचित मण्डलों ने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹ 31.48 करोड़ के 7,292.733 मीट्रिक टन तारकोल की खरीद की। 3,859.874 मीट्रिक टन तारकोल की वास्तविक प्रयुक्तता का विवरण/अभिलेख नमूना-जांचित मण्डलों के पास उपलब्ध नहीं था जो दुरूपयोग/चोरी के जोखिम को बढ़ाता है। प्राप्ति, निर्गमन तथा उपयोग के डाटाबेस का शीर्ष स्तर पर अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा तारकोल का अनुश्रवण तंत्र लगभग अविद्यमान था।

(परिच्छेद 3.19)

ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए देय राशि की कम वसूली

सड़क के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के लिए लोक निर्माण विभाग के हमीरपुर मण्डल द्वारा टेलीकॉम कम्पनियों से देय राशि की गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ की कम वसूली हुई तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण वाहनों के क्रय करने पर ₹ 0.42 करोड़ का अनियमित विचलन हुआ।

(परिच्छेद 3.20)

सड़क तथा पुल को पूर्ण न करने के कारण निष्फल व्यय

सड़क तथा पुलों का गत 12 से 15 वर्षों से निर्माण कार्य पूर्ण करने में लोक निर्माण विभाग की अनुचित योजना तथा विफलता के कारण अभिप्रेत वाहन योग्य सड़क सुविधा से क्षेत्र के लोगों (किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पीति जिला के 12 गाँव) को वंचित रखा गया फलस्वरूप ₹ 27.88 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 1.38 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(परिच्छेद 3.21)

राजस्व विभाग

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित आवंटन तथा दुरूपयोग

राजस्व विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 26.12 करोड़ का अनियमित आवंटन तथा आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं हुए सरकारी कार्यालय/आवासीय भवनों की मरम्मत तथा बहाली के लिए ₹ 6.44 करोड़ का दुरूपयोग हुआ जबकि निधियों की अनुपलब्धता के कारण प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को ₹ 8.24 करोड़ की राहत देने से इन्कार किया गया।

(परिच्छेद 3.22)

देय राशि की कम वसूली तथा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से अधिक/अनुचित आवंटन

राजस्व विभाग द्वारा जल विद्युत शक्ति परियोजना के विकासकर्त्ता से ₹ 2.215 करोड़ की कम वसूली, जिला स्तरीय स्कीमों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से ₹ 17.73 लाख का अधिक आवंटन तथा ₹ 21.44 लाख के अनुचित आवंटन के कारण परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लिए विकास उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया

गया क्योंकि स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 57 प्रस्तावित स्कीमें निधियों के अभाव में लम्बित रही।

(परिच्छेद 3.23)

राज्यांश को कम जारी करना तथा राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम निधियों की अनियमित प्रयुक्ति

₹ 2.54 करोड़ के राज्यांश को कम जारी करना तथा अस्वीकार्य मदों पर ₹ 1.18 करोड़ के अनियमित व्यय के कारण राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की गतिविधियां अपूर्ण रही जबकि प्राप्त निधियां राजस्व विभाग द्वारा पूरी तरह से प्रयुक्त कर ली गयी थी।

(परिच्छेद 3.24)

ग्रामीण विकास तथा शहरी विकास विभाग

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिह्नित लक्षित जनसंख्या 2012 के बेस-लाइन सर्वेक्षण पर आधारित थी जिसका 2012-13 से अद्यतन नहीं किया गया था। शहरी विकास विभाग द्वारा हाउस-टू-हाउस सर्वेक्षण न करने तथा शहरी स्वच्छता योजना को न बनाने के कारण शहरी क्षेत्रों में लक्षित जनसंख्या तथा स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता को स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के अन्तर्गत 2015-17 के दौरान शौचालयों के निर्माण में कमी 94 से 100 *प्रतिशत* के मध्य थी जबकि स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामुदायिक परिसरों के निर्माण में विलम्ब हुआ। बैजनाथ तथा देहरा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा कमजोर अनुश्रवण करने के परिणामस्वरूप प्रबन्धन सूचना प्रणाली पर व्यक्तिगत परिवार शौचालयों के फोटोग्राफ को अपलोड किये बिना 6,587 लाभार्थियों को ₹ 7.90 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.26)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	15,598	15,711	17,843	23,440	26,264
(i) कर राजस्व	*4,626 (30)*	*5,121 (33)*	*5,940(33)*	*6,696 (29)*	*7,039 (27)*
(ii) कर-भिन्न राजस्व	*1,377 (9)*	*1,785 (11)*	*2,081(12)*	*1,837 (08)*	*1,717 (6)*
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	*2,282(14)*	*2,491 (16)*	*2,644(15)*	*3,611 (15)*	*4,344 (17)*
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	*7,313 (47)*	*6,314 (40)*	*7,178(40)*	*11,296 (48)*	*13,164 (50)*
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	650	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	21	17	41	26	30
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	15,619	15,728	18,534	23,466	26,294
5. लोक ऋण प्राप्तियां	3,371	4,050	10,877	6,129	8,603
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	18,990	19,778	29,411	29,595	34,897
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	9,146	10,300	10,575	11,515	13,630
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	28,136	30,078	39,986	41,110	48,527
भाग-ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	16,174	17,352	19,787	22,303	25,344
11. पूंजीगत व्यय	1,955	1,856	2,473	2,864	3,499
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	469	531	474	463	3,290#
13. योग (10+11+12)	18,598	19,739	22,734	25,630	32,133
14. लोक ऋण की चुकौतियां	2,117	1,704	8,260	3,948	3,943
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	20,715	21,443	30,994	29,578	36,076
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	8,285	9,227	8,844	10,577	12,351
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	29,000	30,670	39,838	40,155	48,427
भाग-ग: घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 576	(-) 1,641	(-)1,944	1,137	920
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948##
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411##

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग-घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,370	2,481	2,849	3,155	3,359
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,203	1,438	2,156	2,612	3,357
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	-	11	125	31	23
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	-	0.11	14.80	6.40	16.17
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	82,294 (13.16)	94,764 (15.15)	1,04,177 (9.93)	1,13,667 (9.11)	1,24,570 (9.59)
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244#
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,353	4,333	4,281	3,714	4,550
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,455	9,316	9,316	9,658	12,320
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	12	13	12	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	115	130	141	143	188

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

उदय योजना के सन्दर्भ में ₹ 2890.50 करोड़ सहित।

उदय योजना के सन्दर्भ में ₹ 2890.50 करोड़ के अलावा।